

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 262/2012

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये

तहसीलदार, जैतारण

लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,

जिला-पाली (राजस्थान)

1. शिवदयाल पुत्र बलदेव लखारा

(फौत) के कायम मुकाम :-

1/1 सन्तोष पुत्री शिवदयाल

1/2 कमला पुत्री शिवदयाल

1/3 रामरखी पुत्री शिवदयाल

1/4 गायत्री पुत्री शिवदयाल

1/5 नेनी पुत्री शिवदयाल

1/6 मुनीदेवी पत्नि शिवदयाल

जातियान-लखारा, निवासी-लाम्बिया

तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

तारीख रजुः 29.11.2012

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

--:: निर्णय ::--

दिनांक:- 15/07/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने राजस्व वाद बाबत बेदखली पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में ख.नं. 246 रकबा 6-14 बीघा किस्म चा0चा0 लगान 7.50 रुपये प्रतिवर्ष की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 1600 वर्गफुट यानि 149 वर्ग मीटर किस्म चा0चा0 पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टावर के उपयोग में किया जा रहा है और भूमि को कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में ख.नं. 246 रकबा 6-14 बीघा किस्म चा0चा0 लगान 7.50 रुपये की आई हुई हैं, जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 21/11/2012 को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह वाद-पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।


इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रतिवादी का नोटिस अदम तामील प्राप्त नहीं हुआ। पटवारी हल्का-लाम्बिया की फर्द मौका का अवलोकन किया गया। मौतबिरान के सामने फर्द मौका बनाई गई, जिसमें ख.नं. 246 रकबा 1600 वर्गफुट यानि 149 वर्ग मीटर में मोबाईल टावर लगाना प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)


पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में ख.नं. 246 रकबा 1600 वर्गफुट यानि 149 वर्ग मीटर किस्म चा0चा0 में मोबाईल टॉवर के उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उलंघन किया हैं। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।


-::आदेश:-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में ख.नं. 246 रकबा 1600 वर्गफुट यानि 149 वर्ग मीटर किस्म चा0चा0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 15/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया पर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)


उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास

:- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
:- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. शिवदयाल पुत्र बलदेव लखारा
(फौत) के कायम मुकाम :-
1/1 सन्तोष पुत्री शिवदयाल
1/2 कमला पुत्री शिवदयाल
1/3 रामरखी पुत्री शिवदयाल
1/4 गायत्री पुत्री शिवदयाल
1/5 नेनी पुत्री शिवदयाल
1/6 मुनीदेवी पत्नि शिवदयाल
जातियान-लखारा, निवासी-लाम्बिया
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत

मु0न0 :रा0वा0 स0: 262/2012

धारा 177 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में ख.नं. 246 रकबा 1600 वर्गफुट यानि 149 वर्ग मीटर किस्म चा0चा0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता है। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .
.....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/07/2015 को

..... किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।